

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अधिसूचना

पटना—15, दिनांक.....

संख्या:—पर्या०/वन—07/2007...../प०व०, विभागीय अधिसूचना संख्या—1045

दिनांक—19.12.2017 द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी है। पर्षद अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरांत अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति का निर्णय लिया गया तथा बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम—4 (2) के तहत सेवारत अर्हक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्षद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श में पाया गया कि वर्तमान में भारतीय वन सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जिन्हें वन विभाग के साथ कार्य करने का अनुभव हो उपलब्ध नहीं है, जिनकी प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जा सके।

अतएव उक्त नियम के अंतर्गत चयन द्वारा पर्षद अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित करने का निर्णय लिया गया, इस निर्णय के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष के चयन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार एवं बिहार के बाहर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समीक्षा अध्यक्ष के चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष पद के लिए श्री (डॉ०) देवेन्द्र कुमार शुक्ला, भा०व०से० (सेवानिवृत) के नाम की अनुशंसा की गयी है।

चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—1045 दिनांक—19.12.2017 द्वारा कार्यकारी रूप से अध्यक्ष पद पर की गयी नियुक्ति को समाप्त करते हुए श्री (डॉ०) देवेन्द्र कुमार शुक्ला, भा०व०से० (सेवानिवृत) को उनके योगदान की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्या०/वन—07/2007...../प०व०, पटना—15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्यांत्री/वन-07/2007...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पाँचवा तल्ला, टार्फसेल, बी०ओ० पार्क, सी०एस०आई०आर० रोड, तारामनी, चेन्नई-600113, तमिलनाडु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्यांत्री/वन-07/2007...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्यांत्री/वन-07/2007...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्र मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्यांत्री/वन-07/2007...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना/श्री (डॉ०) देवेन्द्र कुमार शुक्ला, भा०व०से० (सेवानिवृत्त), पिता—स्व० विजय शंकर शुक्ला, डी०-14 सेक्टर एच०, अलीगंज, एक्सटेंशन, लखनऊ-226020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— पर्यांत्री/वन-07/2007...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१६६१(३१) / १११९
२१/११/१९
१११९-१११९

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव